



अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्रांक न० F-2-10/2023 (AC-Plicy) दिनांक: 09 सितम्बर 2024 के क्रम में माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 03.10.2024 के मद संख्या 2024: 6: (B) के निर्णयानुसार टी०आर०सी० लॉ कालेज, बासुदेव नगर, सतरिख, बाराबंकी को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में शैक्षिक सत्र 2024-25 से 2028-29 तक 05 वर्षों हेतु यू०जी०सी० रेगुलेशन 2023 के खण्ड 7.4 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय को स्वायत्तशासी महाविद्यालय के लिए यू०जी०सी० विनियमों के सभी प्राविधानों का पालन करना आवश्यक है। निर्धारित प्राविधानों एवं शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में महाविद्यालय के विरुद्ध यू०जी०सी० रेगुलेशन 2023 के खण्ड 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य/प्रबन्धक, टी०आर०सी० लॉ कालेज, बाराबंकी।
2. परीक्षा नियंत्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. अपर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

कुलसचिव